न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 102/22 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/384

अनवान्

1. श्री महादेव स्थानदेह खातेदार शाश्वत नाबालिग जरिए वाद मित्र शंकरलाल पिता बंशीलाल पुरोहित ब्राहम्ण निवासी घासा तह. घासा।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार पिता बंशीलाल पुरोहित ब्राहम्ण निवासी घासा तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का घासा तह. मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 06.12.2024

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142 किता 12 कुल रकबा 0.6963 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात श्री महादेव स्थान देह खातेदार के नाम पर अंकित है।

2. यहकि गांव घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के बाशिन्दों द्वारा अपनी आस्था एवं श्रद्धा वश आज से करीब 500 साल पूर्व गांव घासा में भगवान श्री महादेव जी की स्थापना की गई थी और इनकी सेवा पूजा का दायित्व मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के पूर्वजो को सौंपा गया तब से ही हमारे पूर्वज एवं उनके वारिसान, मैं प्रार्थी–विपक्षी एवं अन्य सभी पीढी दर पीढी अपने–अपने ओसरे अनुसार भगवान श्री महादेव जी की सेवा–पूजा कर अपने दायित्वो का सत्यनिष्ठा से निवर्हन करते आ रहे है तथा श्री महादेव जी की पूजा अर्चना के बदले उनकी खातेदारी की भूमिया जिसमें वाद वर्णित कृषि भूमियां भी सम्मिलित है, को उपयोग उपभोग हेतु हमारे पूर्वजो को सौंपी गई थी जिसका उपयोग उपभोग भी हमारे पूर्वज तथा हमारे पूर्वजो के पश्चात् उनके वारिसान पीढी दर पीढी विरासत में प्राप्त [illegible] भूमियों पर गत 500 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो [illegible] उपयोग उपभोग करते आ रहे है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:40:59 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमियो का लगान भी जमा कराते आ रहे है तथा इसी कृषि भूमि में से रास्ते के सटमा स्थित आराजी नम्बर 3139 के कुछ भू भाग पर हमारे पूर्वजो द्वारा अपने व अपने परिजनों के निवास हेतु मकान बनाये और उन मकानों में शांतिपूर्वक निवास कर जीवन निर्वाह करते रहे तथा वर्तमान में आराजी नम्बर 3139 पर निवास के लिये पक्के मकानात बने हुए है और सभी वारिसान द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं।

3. यहकि प्रार्थना पत्र में वर्णित श्री महादेवजी स्थान देह की कृषि भूमियों का विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य वारिसानों को उपयोग उपभोग करने के अलावा अन्य कोई हक व अधिकार नही हैं। किन्तु आराजी नम्बर 3139 जो रास्ते एवं आबादी के सटमा होने से विपक्षी संख्या 1 बाहूबल के जरिए नाजायज रूप से उक्त वर्णित जमीन को हड़पने की नियत से आराजी नम्बर 3139 पर निर्मित पुराने मकान को हटवाकर उस स्थान पर पक्की दूकानों का निर्माण करवाने के प्रयास में है तथा इसी उद्देश्य से विपक्षी संख्या 1 द्वारा अनाधिकृत रूप से आराजी नम्बर 3139 पर निर्मित मकान को ध्वस्त करवाने के लिए मजदूर लगाकर कार्य शुरू करवा दिया है और मौके पर भारी मात्रा में निर्माण सामग्री भी डलवाने पर उतारू है। मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवार के सदस्यों को इसका ज्ञान होने पर मुझ प्रार्थी ने मौके पर जाकर विपक्षी सं. 1 को नाजायज तरीके से उक्त महादेव जी की कृषि भूमि पर निर्मित मकान को ध्वस्त करने एवं नई दूकानों का निर्माण कराने से मना किया तो विपक्षी सं. 1 ने आग बबूला होकर मेरे व मेरे परिवारजनों के साथ गाली गलोच कर लडाई झगडा किया और ऐलानियां धमकी दी कि मैं काम बन्द नहीं करूंगा और कोई भी काम बन्द कराने आयेगा तो उसके हाथ–पैर तुडवा दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता है। जबकि विपक्षी सं. 1 का उक्त कृषि भूमियों में कोई हक अधिकार नहीं है एवं निवास हेतु एवं कृषि कार्य हेतु उपयोग उपभोग करने अलावा अन्य किसी प्रकार से उपयोग उपभोग करने का भी अधिकार नहीं है फिर भी विपक्षी सं. 1 श्री महादेव जी की सम्पति को हथियाकर व्यक्तिगत रूप से व्यावसायिक उपयोग उपभोग करने की नियत से उक्त अवैध कृत्य कर रहा है। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

4. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियां हमारे पूर्वजो को श्री महादेव जी की सेवा पूजा के बदले में दी गई है जो निरन्तर पीढी दर पीढी हमारे पूर्वजो एवं मुझ प्रार्थी–विपक्षी व अन्य परिवारजनों को प्राप्त हुई है जिस पर मुझ प्रार्थी सहित अन्य परिवारजन उपयोग उपभोग कर रहे है तथा निवास हेतु बने मकानों में शांतिपूर्वक निवास कर जीवन निर्वाह् कर रहे है किन्तु इन कृषि भूमियों के स्वामी श्री महादेव जी है और यह काश्त की आज्ञा जरिये श्री महादेवजी दी गई है तथा श्री महादेवजी की उक्त कृषि भूमियों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:40:59 IST
Reason: SelfAttested

वह श्री महादेव जी द्वारा काश्त करना माना जावेगा। लेकिन विपक्षी सं. 1 नाजायज तरीके से आम रास्ते के सटमा एवं आबादी के नजदीक की आराजी नम्बर 3139 की कृषि भूमि को हथियाने के लिए इस पर निर्मित मकान को ध्वस्त कर उस कृषि भूमि का मनमाने ढंग से व्यावसायिक उपयोग करने की नियत से दूकाने निर्माण कर कब्जा करना चाह रहा है और इसी नियत से विपक्षी संख्या 1 द्वारा आराजी नम्बर 3139 पर बने मकान को ध्वस्त करवाने का कार्य शुरू करा दिया और द्रुतगति से व्यावसायिक उपयोग हेतु पक्की दूकाने निर्माण कराने पर उतारू है और मना करने पर लडाई झगडा कर मरने मारने पर आमादा है जबकि विपक्षी सं. 1 को कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षी सं. 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करे, आराजी नम्बर 3139 पर निर्मित मकान को नहीं गिरावे, दूकानों का निर्माण नहीं करावे, श्री महादेव जी स्थान दे हके अधिकारों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहूंचावे, कुलिया कृषि भूमि के किसी भी भू भाग पर किसी भी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 06.09.2022 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 ने आराजी नम्बर 3139 पर व्यावसायिक दूकाने निर्माण करवाने की नियत से इस पर निर्मित मकान को ध्वस्त करवाने का कार्य प्रारम्भ करवा दिया और मुझ प्रार्थी व मेरे परिवारजनों द्वारा इसको ऐसा करने से मना किया लेकिन ये नहीं माना एवं मरने मारने पर उतारू हुआ, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशयक की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करे, आराजी नम्बर 3139 पर निर्मित मकान को नहीं गिरावें, दूकानो का निर्माण नहीं करावे, श्री महादेव जी स्थान दे हके अधिकारों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहूंचावे, कुलिया कृषि भूमि के किसी भी भू भाग पर किसी भी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करावें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:40:59 IST
Reason: SelfAttested

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
8. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकरतफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम घासा पटवार हल्का घासा तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 780 पर दर्ज आराजी नम्बर 3139 रकबा 0.0567 हेक्टेयर भूमि महादेव जी स्थान देह के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौके पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि महादेव जी स्थान के नाम पर दर्ज है जिस पर कोई भी पक्षकार निर्माण कार्य नहीं कर सकता हैं। साथ ही वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि हैं। कृषि भूमि होने से बिना संपरिवर्तन कराये निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तथा विपक्षीगण मौके पर निर्माण कर लेते है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रकरण में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 780 पर दर्ज आराजी नम्बर 3139 रकबा 0.0567 हेक्टेयर भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:40:59 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली